UPAL010021462026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अलीगढ।

पीठासीन अधिकारी– श्री पंकज कुमार अग्रवाल, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

(JOCODE-UP1897)

<u>प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 983 सन् 2026</u>

1–नवेद

2–समीर पुत्रगण जैनुद्दीन निवासीगण–शिफा कॉलौनी अलहदादपुर, नीवरी, थाना रोरावर, जनपद– अलीगढ़।

.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक

<u>जमानत आदेश</u>

जमानत प्रार्थना पत्र आदेशार्थ पेश हुआ। जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों को पूर्व नियत दिनांक पर सुना जा चुका है।

2. यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–983/2026 प्रार्थीगण /अभियुक्तगण **नवेद एवं समीर पुत्रगण जैनुद्दीन** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 17/2026 धारा–191(2),333,115(2),117(2),109(1),352,351(2) भारतीय न्याय संहिता थाना रोरावर जिला अलीगढ़ के मामले में जमानत प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किये गये।

3. संक्षेप में अभियोजन केस निम्न प्रकार है कि वादी अकबर सिफा कालौनी 20 फुटा रोड़ अलहदादपुर नीवरी थाना रोरावर अलीगढ़ का निवासी है जिसको मौहल्ले के लोगो द्वारा एक प्लाट को गंदा कर रखा है। वादी का पडौसी जैनुददीन साफ सफाई को लेकर वादी के साथ कई बार गाली–गलौज, मारपीट तथा जानलेवा हमला कर चुका है तथा दिनांक–18.01.2026 को समय करीब 9.30 बजे प्लाट की साफ सफाई को लेकर नाजिम,नवेद, समीर, शाहरूख व रिहान एक साथ एक राय मशवरा होकर मारपीट करते हुए लाठी–डण्डे व लोहे की रोड़ से वादी पर वादी के घर में घुसकर पन्द्रह बीस लोगो ने जानलेवा हमला कर दिया जिसमें वादी के बेटो इमरान, निसार, रिजवान, एवं वादी की माता गफूरन के साथ लाठी–डण्डे व लोहे की रोड़ से जानलेवा हमला कर दिया जिसमें दो लोगो के निसार व गफूरन के सिर फोड़ दिये तथा रिजवान के हाथ फ्रैक्चर हो गया। यह हमला जान से मारने के उद्देश्य से धमकी देकर किया गया तथा इमरान के हाथ की उंगलियो में फ्रैक्चर है। कुछ मौहल्ले के लोग जो बीच बचाव करने आये उनको भी गाली–गलौज और बत्तमीजी की है। परिवार के सदस्यो के साथ जानलेवा हमले में इतनी मारपीट सिर फोडना हाथ

तोडने से इन्हे इतना मारापीटा । मलखान सिंह से मेडीकल कॉलेज रेफर करना पड़ा है। जिनकी हालत गम्भीर है जिसमें इनके साथ कुछ भी हो सकता है।

4- अभियुक्तगण की ओर से मुख्य रूप से कहा गया है कि वह निर्दोष है उन्होने कोई जुर्म नही किया है। अभियुक्तगण को मौहल्ले की पार्टी बन्दी के आधार पर झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने कोई घटना घटित नही की है और ना ही उक्त मुकदमें में लगाये गये आरोप कारित किये है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 14 घण्टे की देरी से खूब सोच समझकर कानूनी मशवरे से करायी गयी है और देरी का कोई कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नही किया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है जिसने घटना को घटित होते देखा हो। अभियुक्तगण दिनांक–19.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है और न ही वह पूर्व सजायाफ्ता है। अभियुक्तगण के कब्जे से चोटे पहुंचाने से सम्बन्धित कोई नाजायज वस्तु आदि बरामद नहीं हुई है। अतः अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाये।

5. इसके विपरीत अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

6. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने तथा सम्बन्धित केस डायरी एवं उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण तहरीर में नामित अभियुक्तगण है। तहरीर के अनुसार दिनांक–18.01.2026 को समय 9.30 बजे प्लाट की साफ सफाई को लेकर अभियुक्तगण द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर लाठी–डण्डो व लोहे की रोड से वादी व वादी के पुत्रगण इमरान, निसार, रिजवान, एवं वादी की माता गफूरन के साथ जान लेवा हमला करके चोटें पहुंचाने का कथन किया गया। आघात आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि मजरूब निसार के दो चोट आना दर्शित किया गया है जिसमें चोट संख्या–1 को जेरे निगरानी रखा गया तथा एनसीटी हैड कराने हेतु रैफर किया गया व चोट संख्या–2 को साधारण प्रकृति की होना एवं कठोर कुन्दालय से आना दर्शित गिया गया है,मजरूब गफूरन के एक चोट आना दर्शित एक चोट आना दर्शित किया गया है जिसे जेरे निगरानी रखा गया और एन सी टी स्कैन कराने हेतु रैफर किया गया। मजरूब रिजवान के पॉच चोटे आना दर्शित किया गया है जिसमें चोट संख्या–5 को साधारण प्रकृति की तथा अन्य सभी चोटो को जेरे निगरानी रखा गया, मजरूब इमरान की आघात आख्या में मजरूब के पॉच चोटे आना दर्शित किया गया है जिसमें चोट संख्या–5 को साधारण प्रकृति की तथा शेष अन्य सभी चोटों

को जेरे निगरानी रखा गया। मजरूब सलमान के एक चोट आना दर्शित किया गया है जिसे जेरे निगरानी रखा गया। वादी मुकदमा अकबर व परवीन, निसार, इमरान, रिजवान द्वारा अपने अपने बयान धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में घटना का समर्थन किया गया है। मजरूब निसार की एक्सरे रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि चुटैल की सी.टी. स्कैन व एक्सरे रिपोर्ट में कोई असमान्यता होना नही पाया गया तथा मजरूब गफूरन की भी एक्सरे रिपोर्ट व सी.टी. स्कैन में कोई असमान्यता होना नही पाया गया। अभियोजन की ओर से यह भी कथन किया गया है कि शेष चुटैलो का कोई एक्सरे नही हुआ है इसलिए उनकी कोई एक्सरे रिपोर्ट केस डायरी के साथ संलग्न नही की गयी है। अभियुक्तगण दिनांक–19.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नही किया गया है। अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना आधार जमानत पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण **नवेद एवं समीर** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण उपरोक्त के द्वारा मु०-**50,000/-50,000/-रूपये (पचास–पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि का **एक–एक** प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक–06.03.2026

(पंकज कुमार अग्रवाल)
सत्र न्यायाधीश,
अलीगढ़।
JO Code- UP01897

टाइपकर्ता- मनोज कुमार (आशुलिपिक)

Digitally signed by PANKAJ KUMAR AGRAWAL
Date: 2026.03.06 18:03:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court